रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-13082026-275453
CG-WB-E-13082026-275453

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4311] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2026/श्रावण 22, 1948
No. 4311] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2026/SHRAVAN 22, 1948

रेल मंत्रालय
(पूर्व रेलवे)
अधिसूचना

कोलकाता, 13 अगस्त, 2026

का.आ. 4491(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 [1989 का 24] (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली जिला में विशेष रेल परियोजना अर्थात, ''पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोडने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा'' के निष्पादन, रख–रखाव और प्रचालन के लिए आवश्यक है, का अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप–धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), हुगली, पश्चिम बंगाल को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यैक्तिक रूप से या विधि अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुमति प्रदान करेगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप–धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली जिला में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना अर्थात ''पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोडने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा'' के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिला का नाम– हुगली

क्र. सं.	थाना का नाम	मौजा का नाम जे. एल. सं0 के साथ	सर्वे सं0	अधिग्रहण का क्षेत्रफल		आंशिक / पूर्ण
				एकड़	हेक्टेयर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	जांगीपाड़ा	शेउड़ावेरिया–128	435	0.526	0.2128	अंश

[फा. सं. केकेके/ईएन/ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर/658 भाग–II]

मनोज खान, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(Eastern Railway)

NOTIFICATION

Kolkata, the 13th August, 2026

S.O. 4491(E) .— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989, (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for the purpose execution, maintenance and operation of the Special Railway Project namely, "New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the east to Surat in the west." in the Hooghly District in the State of West Bengal, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate (Land Acquisition), Hooghly, West Bengal in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub- section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the proposed Special Railway Project namely, "New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the east to Surat in the west." in the Hooghly District in the State of West Bengal.

Name of District- Hooghly

Sl. No.	**Name of PS**	**Name of Mouza with JL No.**	**Survey No.**	**Acquisition Area**		**Part/ Full**
				Acre	**Hectare**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	Jangipara	Seoraberia-128	435	0.526	0.2128	Part

[F. No. KKK/EN/East West Corridor/658 Pt-II]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer/Con.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA